मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 30, 1944)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री,** मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ.35-31-2019-M-31-102, दिनांक 30 जून, 2022 पटल पर रखेंगे.

(2) **डॉ. कुंवर विजय शाह, वन मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री -**

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2021-2022 के खण्ड-I एवं II, तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2021-2022,

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार -

(i) वित्तीय वर्ष 2021-2022 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, तथा

(ii) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, एवं

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 75-क की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-01-2022-2-पांच (22), दिनांक 4 मई, 2022,

पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री -**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 एवं सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, एवं

(ख) द रियल स्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 77 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 एवं 31 मार्च, 2020, तथा

(ii) मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन. 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) की 60 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री,** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार-

(क) अधिसूचना क्रमांक एफ 16-2-2021-बाईस-पं.-2, दिनांक 7 जनवरी, 2022, एवं

(ख) अधिसूचना क्रमांक एफ 2-6/2021/22/1/पं.-1, दिनांक 23 मार्च, 2022

पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री -**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2021-2022, एवं

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

(8) **डॉ.अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री,** मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022, तथा

(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

(9) **श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(10) **श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास -**

(क) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी लिमिटेड का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

(11) **श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा,** मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्रीमती गायत्री राजे पवार, सभापति,** प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम्, षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(2) **श्री पी.सी. शर्मा, सभापति,** लोक लेखा समिति का चालीसवां से तैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति,** विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) **श्री बहादुर सिंह चौहान, सभापति,** कृषि विकास समिति का द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री घनश्याम सिंह, सदस्य,** दतिया जिले के सेंवढ़ा मेन रोड से कुंअर पुरा मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने,

(2) **श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य,** रीवा जिले के लाल रूक्मिणी रमण प्रताप सिंह शासकीय उच्च मा. विद्यालय लालगांव को सी.एम. राईज स्कूल में परिवर्तित किये जाने,

(3) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य,** नीमच जिले के ग्राम लेवड़ा से कनावटी तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य,** दमोह जिले के वि.ख. तेन्दूखेड़ा अंतर्गत सांगा में विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के.व्ही. स्थापित किये जाने,

(5) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर शहर के वार्ड क्र. 56 नहर वाली माता से वार्ड क्र. 57 पारस बिहार कालोनी तक रोड निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने,

(6) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले के ग्राम रैपुरा में नवीन आई.टी.आई. खुलवाये जाने,

(7) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य,** सागर जिले के ग्राम पंचायत भापेल के फुलेर में मांगलिक भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(8) **श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य,** कटनी जिले के ग्राम केना से टहकरी पहुँच मार्ग का पक्का निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य,** रतलाम जिले के जनपद पंचायत सैलाना में सैलाना शिवगढ़ रोड सांसर से ग्राम पागडिया महुडी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य,** राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ अंतर्गत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 100 सीटर कन्या छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,

(11) **श्री संजय यादव, सदस्य,** जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर आवासीय पट्टे प्रदान किये जाने,

(12) **श्री आरिफ मसूद, सदस्य,** भोपाल शहर के वार्ड क्र. 19 में नाला निर्माण कराये जाने,

(13) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य,** रतलाम जिले के जावरा सिविल अस्पताल में सीटी स्केन एवं 5 डायलेसिस मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(14) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य,** धार जिले के माण्डू उद्वहन सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(15) **श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम नंदगायकला उप तहसील महेबा की भूमि के खसरा की जानकारी पोर्टल में दर्ज कराये जाने,

(16) **श्री संजय शर्मा, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के ग्राम विजनपुर से शाहपुर तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य,** सागर शहर के पुरव्याऊ काली तिगड्डा से बरियाघाट वार्ड तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य कराये जाने,

(18) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य,** खरगोन जिले के भीकनगांव अंतर्गत क्षतिग्रस्त छात्रावास का नवीन भवन निर्माण कराये जाने,

(19) **श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू, सदस्य,** नीमच जिले के कुंडला से संजीत तक सड़क एवं पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,

(20) **श्री देवीलाल धाकड़, सदस्य,** मंदसौर जिले के ग्राम धामनिया झाली से पिपलिया राजा डेरा तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(21) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य,** धार जिले के ग्राम पंचायत मकडवानी वि.ख. डही के पटेलपुरा नाले पर रिटर्निंग वाल एवं पुलिया निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य,** विदिशा जिले की सिरोंज कृषि उपज मण्डी में निर्माण कार्य एवं व्यवस्थाओं में सुधार कराये जाने,

(23) **श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी, सदस्य,** खरगोन जिला मुख्यालय के उत्कृष्ठ विद्यालय का जीर्णोद्धार किये जाने,

(24) **श्री रामपाल सिंह, सदस्य,** रायसेन जिले के ग्राम महुआखेड़ा तथा घोघरी के तेन्दोंनी नदी पर सिद्ध स्थान के पास बैराज निर्माण कराये जाने,

(25) **श्री रामचन्द्र दांगी, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ब्यावरा अंतर्गत ग्राम खानपुरा हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(26) **श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य,** उज्जैन जिले के महिदपुर अंतर्गत ग्राम खेड़ा खजुरिया में नवीन सी.एम. राईज स्कूल स्वीकृत किये जाने,

(27) **श्री राकेश मावई, सदस्य,** मुरैना जिले के ग्राम पंचायत बामौर खुर्द मुख्य मार्ग से प्राचीन लंका हनुमान मंदिर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,

(28) **श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य,** राजगढ़ जिले के सारंगपुर अंतर्गत ग्राम मूंडला लोधा शास. प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(29) **श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य,** छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम दमुआ मुख्य मार्ग से सरेखाढाना तक रोड निर्माण कराये जाने,

(30) **श्री सुरेश राजे, सदस्य,** ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम सकतपुरा में अम्बेडकर भवन (सामुदायिक भवन) का निर्माण कराये जाने,

(31) **श्री तरबर सिंह, सदस्य,** सागर जिले के बण्डा अंतर्गत ग्राम राखसी से मउ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव.

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट करता है.".

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री**, मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2022 (क्रमांक 25 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) **डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री**, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 26 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) **श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,** मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 28 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री**, मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 29 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री**, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 30 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) **डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2022 (क्रमांक 25 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) **डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 26 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) **श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,** प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 28 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 29 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(10) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 30 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

7. वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

2 घण्टे

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55 एवं 56 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सोलह हजार इकहत्तर करोड़, चवालीस लाख, पंचानवे हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 27 सन् 2022) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 दिसम्बर, 2022.

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.